(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 50/2023
नई दिल्ली, दिनांकः 08 दिसम्बर, 2023

विषयः आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर के लिए आयात नीति और नीतिगत शर्त में संशोधन।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के तहत आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए आयात नीति और नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन करती है–

आईटीसी (एचएस) कोड और विवरण	मद विवरण	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित आयात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
07131010— पीली मटर	प्रतिबंधित	मटर का आयात वार्षिक (राजकोषीय वर्ष) कोटा न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) 200/– और इससे अधिक सीआईएफ प्रति किलोग्राम रुपये के अधीन होगा और आयात केवल कोलकाता समुद्री पत्तन के माध्यम से अनुमत है। यह प्रतिबंध किसी भी द्विपक्षीय या क्षेत्रीय समझौते या समझौता ज्ञापन के तहत सरकार की आयात प्रतिबद्धताओं पर लागू नहीं होगा।	मुक्त	क) 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए एमआईपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना आयात 'मुक्त' है। आयात खेपों को जहां 31 मार्च, 2024 के बाद सीमा शुल्क विभाग का 'आउट–ऑफ–चार्ज' जारी किया जाता है उसे 'मुक्त' नहीं माना जाएगा। ख) 1 अप्रैल 2024 से, इस अधिसूचना से पहले मौजूद 'प्रतिबंधित' आयात नीति और संबंधित नीतिगत शर्तें लागू होंगी। ग) इस अवधि के दौरान 31 मार्च 2024 तक पीली मटर के सभी प्रकार के आयात की अनुमति होगी, जो आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन होगा।

सं. सां२भो

2. आयात निगरानी प्रणाली के तहत पीली मटर की खेप के पूर्व पंजीकरण के संबंध में प्रक्रियाएं अलग से अधिसूचित की जाएंगी।

अधिसूचना का प्रभावः

आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर का आयात 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से, आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण के अधीन ''मुक्त'' है। एमआईपी की शर्त और पत्तन प्रतिबंध 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए ऐसे पीली मटर के आयात पर लागू नहीं होंगे।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
8.12.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. एम–5012/300/2002/पीसी–2[क]/भाग–VI/ई–9019 से जारी)